बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001.
फोन : 07752–214204, फैक्स 07752–260294, ई–मेल : bilaspuruniversity2012@gmail.com,
वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्र. 299 /अका./2014 बिलासपुर दिनांक 25/2/2014

आदेश

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुये चैतन्य महाविद्यालय, पामगढ़, जिला–जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2014–15 से शिक्षा संकाय के अंतर्गत नीचे उल्लेखित कक्षा/विषय की अस्थायी सम्बद्धता विश्वविद्यालय/एन.सी.टी.ई./एस.सी.ई.आर.टी./उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय पर जारी आदेश/निर्देशों के पालन करने के शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है :–

क्र.	विषय / कक्षा	छात्र संख्या
1.	बी.एड.	100

निर्धारित शर्तें:–

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी संबद्धता आदेश क्र. WRC / APP1078.190th/B.Ed./2013/109267 dated 21.10.2013 में उल्लेखित शर्तो का पालन किया जाये ।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संवद्धता)विनियम–2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति परिनियम 28 के प्रावधान अनुसार तत्काल किया जाये।
4. शैक्षणिक/अशैक्षणिक पद पर नियुक्त कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किया जावें।
5. पाठ्यक्रम के अनुरूप ग्रंथालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाई जावें साथ ही विषय के अनुरूप पृथक–पृथक प्रयोगशाला एवं पर्याप्त प्रायोगिक सामग्री एवं उपकरण की व्यवस्था की जावे।
6. अध्यापनरत्/नियुक्ति हेतु शिक्षकों की न्यूनतम् अर्हतायें वही होगी जो विश्वविद्यालय/शासन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/संबंधित केन्द्रीय अभिकरण(यथा–ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई./डी.सी.आई./पी.सी.आई./सी.सी.एच./बी.सी.आई........इत्यादि) द्वारा निर्धारित है।
7. ग्रंथालय में पाठ्यक्रमानुसार 50000/– की पुस्तके क्रय की जावें ।
8. मनोविज्ञान के उपकरण की संख्या रू. 25000/– की बढ़ाई जाये ।
9. कार्यानुभव की सामग्री और उपलब्ध करायी जायें ।